बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं में संथाल जनजाति को लाभान्वित करने के संबंध में आयोजित बैठक दिनांक–26.12.2016 की कार्यवाही:–

उपस्थितिः– सूची संलग्न।

बैठक प्रारम्भ करते हुए विकास आयुक्त, बिहार के द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

1– सर्वप्रथम विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में संथाल जाति के स्वरोजगार के संबंध में दिनांक 23.08.2016 को आयोजित बैठक के कार्यवाही की कंडिका–2 में वर्णित अनुश्रवण कोषांग के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। इस कोषांग के सदस्य निम्नलिखित होंगे :–

(i) प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना

(ii) प्रधान सचिव/सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना

(iii) प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

(iv) प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना

(v) प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना

(vi) प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना

(vii) प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

(viii) प्रधान सचिव/सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना

(ix) प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, पटना

(x) प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड, बिहार, पटना

(xi) परियोजना निदेशक, जीविका, पटना

अनुश्रवण कोषांग के नोडल पदाधिकारी सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना होगें। इस कोषांग की बैठक प्रत्येक माह होगी।

2– समीक्षोपरांत बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अनुश्रवण कोषांग के माध्यम से संथाल जनजाति सहित राज्य के सभी अनुसूचित जनजातियों के लिए संचालित योजनाओं का अनुश्रवण किया जाएगा।

3– साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग में भी राज्य स्तर पर अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु एक

कोषांग का गठन किया जाऐ। सभी संबंधित विभाग में अनुश्रवण कोषांग के लिए प्रभारी पदाधिकारी नामित करते हुए नोडल विभाग अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को संसूचित करेंगे। विभाग में गठित कोषांग जिला स्तर पर अनु0 जनजाति के लिए संचालित योजनाओं का प्रतिवेदन समेकित कर नोडल विभाग को प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक उपलब्ध करायेंगे।

4– निर्णय लिया गया कि जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक कोषांग का गठन किया जाएगा। इस कोषांग के माध्यम से अनु0 जनजाति के लिए विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में की जाएगी। इस समिति में जिला स्तर पर योजना एवं विकास विभाग, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग, महिला विकास निगम, कॉम्फेड, एवं जीविका के पदाधिकारी होगें। जिला स्तर के कोषांग के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी होंगे।

5– प्रथम चरण में मुख्य रूप से रोजगार के साधन/अवसर उपलब्ध कराने तथा आयोत्पादक योजनाओं के माध्यम से आर्थिक स्थिति मजबुत कराना होगा। इसके तहत निम्नाकित योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगाः–

(i) अनु0 जनजाति के व्यक्तियों को मनरेगा, जीविका एवं कम्फेड के माध्यम से लिंक कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराऐं जाऐंगे।

(ii) अनु0 जनजाति के युवक/युवतियों के लिए श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से इम्पैनेल्ड एजेंसियों के माध्यम से कौशल विकास योजना के तहत जनजातियों को प्राथमिकता के साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा जीविकोपार्जन के लिए रोजगार के अवसर दिये जाऐंगे।

(iii) आयोत्पादक योजनाओं के तहत मुख्य रूप से राशन की दुकान, मुर्गीपालन, बकरीपालन, गायपालन आदि योजनाओं के लिए संबंधित विभाग के माध्यम से लाभ दिए जाए।

6– अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा एक परियोजना प्रस्ताव का ड्राफ्ट भी बैठक में सभी पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया तथा उस पर विचार विमर्श किया गया। विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि संथाल सहित सभी जनजाति के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाए।

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

(शिशिर सिन्हा)
विकास आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–06 / निदे0–अनु0ज0जा0(सं0)–26–04 / 2016 -37 पटना, दिनांक– 10.01.17

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना / विकास आयुक्त, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / प्रधान सचिव, कृषि विभाग / प्रधान सचिव, निबंधन,उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग / प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग / प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग / प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग / सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग / प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, पटना / परियोजना निदेशक, जीविका, पटना / प्रबंधक निदेशक, कम्फेड, पटना को सचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–06 / निदे0–अनु0ज0जा0(सं0)–26–04 / 2016 -37 पटना, दिनांक– 10.01.17

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

9.1.17

सरकार के सचिव।